

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

जयपाल बनाम सरजीत आदि

दावा बाबत :- 88 RTA CT

मुकदमा नम्बर :- 27/2021

निर्णय दिनांक :- 04-10-2021

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 192 की ओर से वकील मानु पतापी सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा - प्लॉ 14 AMS के खेतों सं 176/168

के मु. नं. 29 किला नं० 6 ता 9, 12 ता 19, 23 ता 25 कुला 37950 ई० में प्रतिवादी सं० 1 सरजीत के नाम से 146-1/2 हिस्सा खेतयार यर्ज है। मैं से आठवां प्रतिवादी सं० 1 सरजीत के बजार वादी व प्रतिवादी सं० 1 को वृद्धिस्सा करावर के खेतयार लाइलाकार वापिस किया जावे है - युंकि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में हथारा कर मुज्य कर लिया है। इसलिए हक लागा किया गये हिस्स पर पंजीयन विभाग को केथ पंजीयन मुल्य एवं स्ट्याम ड्यूटी आया करने व अधिकारयुक्ति के रदन ए ता रदन मुकद हेन के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल थरा मुज किया जावे। राजीनामा का डिक्री का भाग 161 जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़